

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013पार्ट


जयपुर, दिनांक: 11.1.2019

—: आदेश :-

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राजस्थान राज्य के 67-रामगढ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जिसके अनुसार दिनांक 28.01.2019 को मतदान होने के कारण 67-रामगढ (अलवर) निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला कलक्टर, अलवर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।


पुनर्मतदान की स्थिति में जहाँ पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला कलक्टर, अलवर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पी.डी.पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 4.01.2019 के क्रम में।
9. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
10. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
11. जिला कलक्टर, अलवर (जिला निर्वाचन अधिकारी) राजस्थान।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. निदेशक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप-3) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
18. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव

Urgent
JS (A)8/1/19
राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

विषय:- 67-रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थगित चुनाव - मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी, 2019 के द्वारा राज्य के 67-रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र में मतदान दिनांक 28.01.2019 को होगा।

अतः मतदान दिवस 28.01.2019 का उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर को प्राधिकृत करावें साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राधिकृत करावें।

कृपया इस संबंध में आपके द्वारा जारी आदेश की प्रति इस विभाग को भी भिजवाने का श्रम करावें।

(डॉ० जोगा राम)

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा./2017/ 189
जयपुर, दिनांक 4-1-19

AS-2

JK

09/01/19

JK

JK

Urgent - Hidayat A.